निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 921) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–13/2026–6291/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

[बिहार अधिनियम 15, 2026]

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अधिनियम, 2026
बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025
(बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित करने हेतु अधिनियम।

प्रस्तावनाः– चूँकि राज्य के अन्तर्गत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार के नियमन और सेवा की अन्य शर्त्तों से संबंधित विधियों को संशोधित और समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) पारित किया गया है।

और, चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) को दिनांक–21.11.2025 के प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

और, चूँकि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) एवं बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) में अंकित प्रावधानों में समरूपता है।

और, चूँकि वर्तमान में बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में अधिनियमों के अन्तर्गत दोहरे प्रावधानों के सह–अस्तित्व के कारण बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित किये जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**–

(1) इस अधिनियम को बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **निरसन एवं व्यावृति।**–

(1) बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 के अधीन किया गया या की गयी समझा या समझी जाएगी और बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 के निरसन के चलते किये गए कुछ भी या की गई किसी कार्रवाई की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–13/2026–**6292**/**लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमत **बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 16, 2026)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

[Bihar Act 15, 2026]

The Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Repeal) Act, 2026

AN

ACT

to repeal the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act 09, 2025).

Preamble:— Whereas, the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025) was enacted to amend and consolidate the laws relating to the regulation of employment and other conditions of service of workers employed in shops and establishments within the State, and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) has been brought into force by the Central Government with effect from the 21st day of November, 2025;

And whereas, there is an overlap between the provisions enshrined in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025);

Furthermore, since there is currently a need to generate new opportunities for industrial investment within the state of Bihar in order to accelerate industrial and economic activities, and given the coexistence of overlapping provisions under various enactments, it has become necessary to repeal the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025)

Now therefore be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the 77th years of Republic of India as Follows:-

1. ***Short title and commencement.-***

(1) This Act may be called the Bihar Shops and Establishment (Regulation of Employment and Condition of Service) (Repeal) Act, 2026

(2) It shall come into force the date of publication in the official gazette.

2. ***Repeal and Saving.-***

(1) Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act 09, 2025) is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to be done under the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 and validity of anything done or any action taken shall not be questioned due repeal of the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025.

(2) The Bihar Shops and Establishment (Regulation of Employment and condition of Service) (repeal) Ordinance 2026 (Bihar Ordinance No.- 01, 2026) is hereby repealed

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the power conferred by or under this Act as if this Act were in force on the days on which such thing was done or action taken.

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 921-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in